न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

पत्र संख्या–25/2024
पत्र प्रविष्टि दिनांक–22.05.2024
र्णय दिनांक–01.01.2025

निता पुत्री सीताराम जाति बैरवा निवासी ग्राम अनवरपुरा खेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

सीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 328, 9, 451, 85, 87, 90 कुल किता 06 कुल रकबा 2.7945 हैक्ट. वाके ग्राम अनवरपुरा खेडा, पटवार हल्का वरपुरा खेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.) में स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का 1/20 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में हो रखा है। जिसकी बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का नाम नु पुत्री सीताराम अंकित हो रखा है। जबकि प्रार्थिया का सही एवं वास्तविक नाम अनिता पुत्री सीताराम जाति या है। प्रार्थिया के पिता का काफी वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। उस समय प्रार्थिया के पिता की विरासत का न्तकरण भरवाते सयम प्रार्थिया का घर पर पुकारे जाने वाला नाम अन्नु पुत्री सीताराम दर्ज कर दिया गया। कि प्रार्थिया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाते आदि सभी दस्तावेज प्रार्थिया का नाम अनिता पुत्री सीताराम सही रूप से अंकित हो रखा है। लेकिन उक्त भूमि में प्रार्थिया का नाम नु पुत्री सीताराम जाति बैरवा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर प्रार्थिया का सही नाम निता पुत्री सीताराम दर्ज करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल कारण हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम अनवरपुरा खेडा पटवार हल्का वरपुरा खेडा में दर्ज भूमि आराजी ख0न0 328, 449, 451, 85, 87, 90 कुल किता 06 कुल रकबा 2.7945 ट. में प्रार्थीया काा नाम गलत रूप से अन्नु पुत्री सीताराम अंकित हो रखा है। जिसकी दुरूस्ती करवायी जाकर के स्थान पर प्रार्थिया का सही नाम अनिता पुत्री सीताराम बैरवा अंकित करवाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी ीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर न किया की प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे नाम अन्नू पुत्री सीताराम बैरवा दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि बिक प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड के अनुसार अनिता पुत्री सीताराम है। प्रार्थी ाम हेतु मौका रिपोर्ट (पर्चा) ग्राम अनवरपुरा खेडा मे उपस्थित मोतबिरान के अनुसार प्रार्थी का नाम अनिता सीताराम नाम सही है। प्रार्थी का नाम अन्नु विरासत के नामान्तकरण मे दर्ज हो गया है। जबकि दस्तावेजो नुसार अनिता पुत्री सीताराम बैरवा है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। क्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 449, 451, 85, 87, 90 कुल किता 06 कुल रकबा 2.7945 हैक्ट. वाके ग्राम अनवरपुरा खेडा, पटवार हल्का रपुरा खेडा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज.) मे स्थित है। जिसमे प्रार्थिया का 1/20 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे हो रखा है। जिसकी बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि मे प्रार्थीया का नाम पुत्री सीताराम अंकित हो रखा है। जबकि प्रार्थिया का सही एव वास्तविक नाम अनिता पुत्री सीताराम जाति है। प्रार्थिया के पिता का काफी वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। उस समय प्रार्थिया के पिता की विरासत का न्तकरण भरवाते सयम प्रार्थिया का घर पर पुकारे जाने वाला नाम अन्नु पुत्री सीताराम दर्ज कर दिया गया। के प्रार्थिया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाते आदि सभी दस्तावेज र्थिया का नाम अनिता पुत्री सीताराम सही रूप से अंकित हो रखा है। लेकिन उक्त भूमि में प्रार्थिया का नाम पुत्री सीताराम जाति बैरवा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरूस्ती करवाया जाकर प्रार्थिया का सही नाम ा पुत्री सीताराम दर्ज करवाया जाना आवश्यक एव न्यायसंगत है। उक्त त्रुटी सहवनीय एवं लिपिकीय भूल रण हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी ग्राम अनवरपुरा खेडा पटवार हल्का रपुरा खेडा मे दर्ज भूमि आराजी ख0न0 328, 449, 451, 85, 87, 90 कुल किता 06 कुल रकबा 2.7945 में प्रार्थीया का नाम गलत रूप से अन्नु पुत्री सीताराम अंकित हो रखा है। जिसकी दुरूस्ती करवायी जाकर स्थान पर प्रार्थिया का सही नाम अनिता पुत्री सीताराम बैरवा अंकित करवाया जावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया की प्रार्थी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नाम अन्नू पुत्री सीताराम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड के अनुसार ा पुत्री सीताराम है। प्रार्थी के नाम हेतु मौका रिपोर्ट (पर्चा) ग्राम अनवरपुरा खेडा मे उपस्थित मोतबिरान के ार प्रार्थी का नाम अनिता पुत्री सीताराम नाम सही है। प्रार्थी का नाम अन्नु विरासत के नामान्तकरण मे दर्ज या है। जबकि दस्तावेजो के अनुसार अनिता पुत्री सीताराम बैरवा है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ पी.डब्ल्यू. 01 अनिता पुत्री सीताराम जाति बैरवा निवासी ग्राम अनवरपुरा खेडा, पी.डब्ल्यू. 02 खेमराज पुत्र राम जाति बैरवा निवासी ग्राम अनवरपुरा खेडा, पी.डब्ल्यू. 03 रामजीलाल पुत्र सीताराम जाति बैरवा निवासी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

म अनवरपुरा खेडा व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन या गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं की प्रार्थिया का शुद्ध नाम अनिता पुत्री सीताराम जाति बैरवा है, जबकि मे आराजी ख0न0 328, 449, 451, 85, 87, 90 कुल किता 06 कुल रकबा 2.7945 हैक्ट. वाके ग्राम अनवरपुरा डा, पटवार हल्का अनवरपुरा खेडा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम **अन्नु पुत्री सीताराम जाति बैरवा** रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **अन्नु पुत्री ताराम जाति बैरवा** के स्थान पर **अनिता पुत्री सीताराम जाति बैरवा** दर्ज किये जाने का आदेश दिया ा है। निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। वली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

([illegible] खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner